


राजस्थान-सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू
क्रमांक: राज/भू.रू./15/575-578 दिनांक 06.08.2015

संपरिवर्तन आदेश

बाबा मोहननाथ शैक्षणिक विकास समिति बुहाना जरिये रघुवीर पुत्र रामप्रसाद जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ने वाके ग्राम बुहाना ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना ने स्वयं के खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि ख0न0 2480/2171 रकबा 1.27 है0 में से 1200 वर्गमी0 का संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया गया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम-2007 के अधीन एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (5) रेवन्यू-6/92 पीटी/8 दिनांक 26.04.11 व राजस्व (ग्रुप-9) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-2 (135) राज/भू.रू./2012 दिनांक 24.08.2012 के विहित प्राधिकृत अधिकारी को संपरिवर्तन के अधिकार में संशोधन किया गया है अतः संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पति का नाम	बाबा मोहननाथ शैक्षणिक विकास समिति बुहाना जरिये रघुवीर पुत्र रामप्रताप जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
2.	क्या आवेदक अनु0जाति या अनु0 जन जाति का सदस्य है?	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल (है0 में) (ग) प्रत्येक ख0 न0 का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में)	(क) ग्राम - ग्राम बुहाना ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना (ख) ख0न0 2480/2171 रकबा 1.27 है0 (ग) ख0न0 2480/2171 रकबा 1.27 है0 में से 1200 वर्गमी0
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापति प्रति सलंगन है।		
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजन
5.	चालान सं0 तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम कर रकम	चा0- 104 दिनांक 23.07.2015 राशि 62400 रू0 जमा दिनांक 23.07.2015
6.	चालान सं0 तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं




(सोहनराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

7.	चालान सं०,तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नही
8.	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम-13 के अधीन जारी किया गया है।	नही
9.	अन्य कोई विशिष्टियां, यदि कोई हो	नही
10.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है जो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रमीयक धन समपहत हो जायेगा। (3) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी राज्य पक्ष में छोडनी होगी। (6) निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियां की पालना करनी होगी। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।	



(सोहनराम बाधरी)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला-झुंझुनूं
दिनांक: 06.08.2015

कमाक-सम- 575-578

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुंझुनूं।
2. तहसीलदार बुहाना को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद करने हेतु।
3. ग्राम पंचायत बुहाना।
4. बाबा मोहननाथ शैक्षणिक विकास समिति बुहाना जरिये रधुवीर पुत्र रामप्रसाद जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।




उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला-झुंझुनूं
(सोहनराम बाधरी)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

प्रारूप ख

(देखिये नियम 6 (2) और (3))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक/राजस्व/

दिनांक _____

:- संपरिवर्तन आदेश :-

बाबा मोहननाथ वैज्ञानिक विकास समिति बुढाना जीरये अध्यक्ष रामप्रताप पुत्र
श्री देवकरण जाति अहीर

ग्राम

कलाखरी

तहसील बुढाना के आवेदन पर उसको खातेदारी अधिवृत में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8 (2)/8 (3) के अधीन कृषि अकृषि प्रयोजन के लिए उसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विधिपूर्वक प्रतीति दी गयी है-

1. आवेदन खातेदार अभिचारी का नाम, पिता /पति के नाम सहित पूरा पता।
बाबा मोहननाथ विकास समिति बुढाना जीरये
अध्यक्ष रामप्रताप पुत्र देवकरण जाति अहीर
नि० कलाखरी तह० बुढाना जिला झुन्झुनू राज०
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति, जन जाति का सदस्य है।
नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :-

(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/

बुढाना / बुढाना

तहसील का नाम

तहसील बुढाना

(ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक

ख.नं. 2479/2171 रकबा 0.13 हे०

खसरा सं. का क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(ग) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को

ख.नं. 2479/2171 रकबा 0.13 हे० सम्पूर्ण

उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन

क्षेत्रफल हेक्टर या वर्ग मीटर में

टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सतहत को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न करें।

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :

वैज्ञानिक प्रयोजनार्थ

5. सदैव प्रीमियम की दर :

6. चालान की सख्या तथा तारीख सहित

चालान नं 41, 42

दिनांक 19.11.2005

जमा कराई गई प्रीमियम की राशि

रुपया 14,400 + 9600 = 24,000/= रुपये

7. चालान नं तथा तारीख सहित प्राप्ति

यदि कोई हो तो जमा कराई गयी रकम

.....2.....

8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज
यदि कोई हो तो जमा कराई गई राशि _____
9. क्या आदेश नियमिताकरण के लिए नियम 12
के अधीन जारी किया गया है। _____
10. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो :- _____
11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-
- (1) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
 - (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समाप्त हो जावेगा।
 - (3) नियम 4 में तथा तर्जित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
 - (4) लाकोप्रयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के उपयोग विहित प्राधिकारी से विशिष्ट विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

विहित प्राधिकारी की मोहर

६०—
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी
जिला झुझुनू (राजस्थान)

क्रमांक/राजस्व/ 2446-2450

दिनांक 26/11/2015

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान् कलेक्टर साहब, जिला कलेक्टर कार्यालय झुझुनू को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्री राजस्व लेखाकार तहसील ~~खेतड़ी~~ / बुहाना
3. श्री पटवारी हल्का बुहाना
4. प्रशासक ग्राम पंचायत बुहाना पंचायत समिति ~~खेतड़ी~~ / बुहाना
5. आवेदक श्रीबाबा मोहननाथ श्रेष्ठिण्ड विकास समिति बुहाना जी.एस. अध्यक्ष रामप्रसाद पुत्र देवकरण जाति अहीर नि.० क्लाबरी


उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी
जिला झुझुनू (राजस्थान)

राजस्थान-सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं
क्रमांक: राज/भूमि रूपान्तरण/17/250-253 दिनांक 12.09.2017

संपरिवर्तन/नियमितिकरण आदेश

बाबा मोहननाथ शैक्षणिक विकास समिति बुहाना जरिये अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं ने वाके ग्राम बुहाना ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना ने स्वयं के खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि ख0नं0 2480/2171 रकबा 1.27 है0 में से 2500 वर्गमी0 का संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया गया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम-2007 के अधीन एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (5) रेवन्यू-6/92 पीटी/8 दिनांक 28.04.11 व राजस्व (ग्रुप-9) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-2 (135) राज/भूरू./2012 दिनांक 24.08.2012 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (26) राज-6/2014/33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6 (26) राज-6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के विहित प्राधिकृत अधिकारी को संपरिवर्तन के अधिकार में संशोधन किया गया है। आवेदक द्वारा मौके पर निर्माण कर शैक्षणिक संस्थान/विद्यालय संचालन किया जा रहा है। आवेदक द्वारा बिना संपरिवर्तन उपयोग में लिए भू-भाग व निर्माण पर नियमितिकरण हेतु देय शास्ती का भुगतान कर दिया है। निर्माण एवं संपरिवर्तन बाबत वर्तमान में प्रचलित एवं भविष्य में प्रभावी होने वाली विधियों एवं उपविधियों के पालन किए जाने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। आवेदित भूमि में से इण्डियन रोड कांग्रेस के अनुसार सड़क मध्य से नियमानुसार नियत दुरी छोड़ते हुए शेष भू-भाग एवं निर्माण को संपरिवर्तन/नियमितिकरण योग्य पाया गया है। अतः संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिये प्रश्नगत भूमि वाके ग्राम बुहाना के खसरा नं. 2480/2171 रकबा 1.27 है0 में से 2500 वर्गमी0भूमि का संपरिवर्तन मय नियमितिकरण किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पति का नाम	बाबा मोहननाथ शैक्षणिक विकास समिति बुहाना जरिये अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं
2.	क्या आवेदक अनु0जाति या अनु0 जन जाति का सदस्य है?	नही
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल (है0 में) (ग) प्रत्येक ख0 न0 का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में)	(क) ग्राम - ग्राम बुहाना ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना (ख) ख0नं0 2480/2171 रकबा 1.27 है0 (ग) ख0नं0 2480/2171 रकबा 1.27 है0 में से 2500 वर्गमी0 संपरिवर्तन मय नियमितिकरण
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापति प्रति सलंग्न है।		
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजन
5.	घालान सं0 तारीख सहित जमा कराई	घा0- 34 दिनांक 08.09.2017 राशि 156800 रू0




उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं


उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राजस्थान)

	गई प्रिमियम कर रकम	जमा दिनांक 08.09.2017
6.	चालान सं० तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	उक्तानुसार चालान मय शास्ति है।
7.	चालान सं०, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
8.	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम-13 के अधीन जारी किया गया है।	हाँ
9.	अन्य कोई विशिष्टियां, यदि कोई हो	नहीं
10.	<p>उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा—</p> <p>(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।</p> <p>(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है जो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियमक धन समपहृत हो जायेगा।</p> <p>(3) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।</p> <p>(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।</p> <p>(5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी में किसी तरह का निर्माण, अवरोध नहीं किया जाएगा।</p> <p>(6) ग्राम पंचायत की भवन निर्माण, कर आदि के बारे में विधियों एवं उपविधियां जो वर्तमान में लागू हो या भविष्य में प्रभावी होगी की पालना करनी होगी।</p> <p>(7) आवेदक द्वारा प्रचलित रास्ते को उपयोग किया जा रहा है जिसके बाबत इस आदेश से इसमें कोई विधिक अधिकार अर्जित नहीं होगा। विवाद की स्थिति में आवेदक की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।</p> <p>(8) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों/प्रचलीत या भविष्य में प्रभावी होने वाली विधियों या उपविधियों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।</p> <p>(9) वाटर हारवेस्टिंग के सम्बंध में राज्य सरकार के निर्देश, नियम व अनुदेशों की पालना करनी होगी व वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण किए जाने पर लगाना होगा।</p>	



कमाक-सम- १५०-१५३

उपखण्ड अधिकारी, बुखाना
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला बुखार (बिहार)
 बुखाना जिला-बुखाना
 दिनांक: 12.09.2017

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू ।
2. तहसीलदार बुखाना को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद करने एवं अवैध निर्माण पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु।
3. ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बुखाना।
4. बाबा मोहननाथ शैक्षणिक विकास समिति बुखाना जरिये अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुखाना जिला झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी, बुखाना
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला बुखार (बिहार)
 बुखाना जिला-बुखाना

उपखण्ड अधिकारी, बुखाना
 विवा कुंभुनू

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक प12(3)(21)राज/2019/1281-87

दिनांक :- 2/9/2019

संपरिवर्तन आदेश

बाबा मोहननाथ शैक्षणिक विकास समिति बुहाना जरिये अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना की खातेदारी अभिधृति में धारित ग्राम बुहाना ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना स्थित कृषि भूमि पुराना ख0न0 2480/2171/1 रकबा 0.90 हे0 नवीन ख0न0 3014/2171 रकबा 0.90 हे0 में से सम्पूर्ण रकबा 0.90 हे0 (9000 वर्गमी0) भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(g) एवं राजस्व (सुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ6(6)रेव-6/92/पीटी/8 दिनांक 06.10.2016 के अधीन अकृषिक (संस्थानिक) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	बाबा मोहननाथ शैक्षणिक विकास समिति बुहाना जरिये अध्यक्ष, श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम बुहाना ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना पुराना ख0न0 2480/2171/1 रकबा 0.90 हे0 नवीन ख0न0 3014/2171 रकबा 0.90 हे0 पुराना ख0न0 2480/2171/1 रकबा 0.90 हे0 नवीन ख0न0 3014/2171 रकबा 0.90 हे0 में से सम्पूर्ण रकबा 9000 वर्गमी0
	टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 82 दिनांक 29-11-17 राशि 30,000/- रुपये व चालान संख्या 24 दिनांक 28-8-19 राशि 96,900/- कुल 1,26,900/- रुपये
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं

3.	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हों	नहीं
10	<p>उपर्युक्त संपरिचित आदेश निम्नलिखित शर्तों के अन्वेषण होगा-</p> <p>(1) इण्डियन रोड कांसेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात ही निर्माण करेगा तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधियां पहुंच मार्ग हेतु भूमि राजस्वक में समर्पण करनी होगी।</p> <p>(2) यदि प्रक्री नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संघारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।</p> <p>(3) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की संपरिचितों की पालना करनी होगी एवं निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा।</p> <p>(4) राजस्व विभाग के परिपत्र प.६(६)राज-६/९२ पार्ट दिनांक १७-७-२००७ तथा अग्नि शमन हेतु नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक २४-१०-०७ के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित करके ही निर्माण कार्य कराया जावेगा अग्निशमन संबंधी सुरक्षा मानदण्डों की पालना की जावेगी।</p> <p>(५) शिक्षण संस्थ हेतु मौजूद भवन विनियम २०१० (संशोधित) में वर्णित सभी बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।</p> <p>(६) कुल भूमि का ४० प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना होगा। प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना का निर्माण किया जावेगा।</p> <p>(७) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से ५ वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिचित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्यक्ष कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समझौता हो जावेगा।</p> <p>(८) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समस्त समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।</p> <p>(९) उपर्युक्त अतिरिक्त प्रयोजन के लिये संपरिचित भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्ण अनुमति प्राप्त बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।</p> <p>(१०) नियम-४ में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अतिरिक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।</p> <p>(११) उपरोक्त शर्तों की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।</p>	

||
(रवि जैन)

जिला कलेक्टर, झुझुनू
दिनांक १३/९/२०१९

क्रमांक प १२(३)(२१)राज/२०१९/१२८१-८७

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. उप खण्ड अधिकारी बुहाना।
2. तहसीलदार बुहाना को पालनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्टर झुझुनू।
4. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड बुहाना।
5. सचिव, ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना।
6. बाबा मोहननाथ शैक्षणिक विकास समिति बुहाना जारिये अध्यक्ष, श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना
7. गार्ड फाईल


जिला कलेक्टर झुझुनू